



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,  
पुनरीक्षण क्रमांक : /2010 निगम 333-I/10

62

1. नीरज पुत्र रोशनलाल चौधरी
2. नीलेश पुत्र रोशनलाल चौधरी
3. पंकज पुत्र रोशनलाल चौधरी दोनों अवयस्क द्वारा संरक्षक मां श्रीमती कुसुम पत्नी श्री रोशनलाल चौधरी

4. नितिन पुत्र ओमप्रकाश चौधरी समस्त निवासी  
वार्ड क्र.-6 पिछोर, तहसील पिछोर, जिला  
शिवपुरी (म.प्र.)

—आवेदकगण

बनाम

1. रामगोपाल
2. जगदीश पुत्रगण रामसेवक चौधरी निवासीगण-बड़ा बाजार, गल्ला मण्डी, शिवपुरी (म.प्र.)
3. कमला पुत्री रामसेवक चौधरी पत्नी श्री रामजी दास गुप्ता निवासी-माधोगंज, कदम सिंह बाड़ा, लशकर, ग्वालियर म.प्र.
4. सुधा चौधरी रामसेवक चौधरी पत्नी श्री अशोक कुमार गुप्ता, निवासी-बड़ा बाजार, पिछोर तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

—अनावेदकगण

न्यायालय आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा  
प्रकरण क्रमांक 229/2008-09/ निगरानी में पारित  
आदेश दिनांक 15/03/2010 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व  
संहिता की धारा 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

श्री. राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर  
अवर सचिव  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

22-3-10



**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर**

**अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ**

प्रकरण क्रमांक निगरानी-333-एक/10

जिला – शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.01.2018	<p>आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री आर.डी. शर्मा पक्षकार सहित उपस्थित। अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस. पी. धाकड़ पक्षकार सहित उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के तहत आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया उभयपक्षों के मध्य राजीनामा हो गया है। अतः राजीनामा अनुसार प्रकरण समाप्त किया जाए। विचारोपरांत उभयपक्षों का अनुरोध स्वीकार करते हुए उभयपक्षों के मध्य राजीनामा हो जाने से प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	